



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

Dr. Rajendra Prasad Mishra

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-242812

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

तिथि: 019/2016/CFLIS/अ.म./001/५५

दिनांक: 07.03.2016

अधिसूचना

भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के 'अध्ययन-मंडल' का पुनर्गठन पी-एच.डी. अध्यादेश के बिंदु क्रमांक 5.2 (V) में सक्षम निकायों की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यक संशोधन के पश्चात् निम्नानुसार किया जाता है-

1. निदेशक, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र	अध्यक्ष
2. विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के सभी प्रोफेसर	सदस्य
3. विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के सभी एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर	सदस्य
4. डॉ. हिमाद्री शैकिया (भूतपूर्व विद्यार्थी)	सदस्य
5. प्रो. ठाकुर दास (स्पेनिश भाषा के लिए), जनकपुरी, नई दिल्ली	सदस्य
डॉ. कमलशील (चीनी भाषा के लिए), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
डॉ. उनिता सच्चिदानंद (जापानी भाषा के लिए), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
प्रो. डी. के. सिंह (फ्रेंच भाषा के लिए), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
प्रो. बीना शर्मा (अंतरराष्ट्रीय भाषा हिन्दी के लिए), केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	सदस्य

पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जा रही है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. संकायाध्यक्ष, भाषा-विद्यापीठ।
3. निदेशक, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र को संबंधित सदस्यों को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. परीक्षा कार्यालय।
6. कार्यालय प्रति।